भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 112*

दिनांक 03.03.2015/12 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवादी/नक्सली गतिविधियां

***112. श्री विष्णु दयाल राम :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड सहित देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी और नक्सली गतिविधियों के मामलों की जानकारी मिली है;
(ख) यदि हां, तो पता चले ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मारे गए/घायल हुए नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों तथा गिरफ्तार किए गए और मारे गए आतंकवादियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ग) आतंकवाद के शिकार लोगों के लिए मुआवजा नीति की मुख्य विशेषताए क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने लोगों को मुआवजा दिया गया;
(घ) क्या सरकार इस संबंध में झारखंड सहित राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में आतंकवादी/नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ड.) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

दिनांक 03 मार्च, 2015 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 112 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : जी, हां। जम्मू एवं कश्मीर सहित देश में हुई आतंकवादी घटनाओं का ब्यौरा अनुलग्नक-I में तथा वर्ष 2014 के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में हुई घटनाओं, मारे गए/घायल हुए सिविलियनों और सुरक्षा बल कार्मिकों तथा गिरफ्तार एवं मारे गए माओवादियों की संख्या से संबंधित ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) : आतंकवाद और वामपंथी उग्रवादी हिंसा के पीड़ित लोगों के लिए क्षतिपूर्ति संबंधी नीति के अंतर्गत, "आतंकवाद/साम्प्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा के पीड़ित लोगों के लिए केन्द्रीय सहायता" नामक एक योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। उक्त योजना के अंतर्गत, मृत्यु अथवा 50 प्रतिशत या उससे अधिक की अक्षमता/अपंगता के मामले में सिविलियन पीड़ित/पीड़ित के निकटतम संबंधी को 3 लाख रु. की राशि दी जाती है। पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सिविलियन पीड़ितों/उनके निकटतम संबंधियों, जिन्हें मुआवजा दिया गया था, की संख्या अनुलग्नक-III में दी गई है।

(घ) : केन्द्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है जो झारखंड सहित देश के सभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए लागू है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्यों के साथ समन्वय करके आतंकवाद से निपटने के लिए एक समुचित तंत्र भी तैयार किया है।

(ङ) : लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं। इन मुद्दों से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है। तथापि, केन्द्र सरकार का यह मत है कि आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने वाले आतंकवाद के प्रभाव पर गौर करते हुए इससे निपटना एक सहभागितापूर्ण जिम्मेदारी है।

वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद के खतरे के उद्देश्य से, भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नफरी का संवर्धन;
- चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एनएसजी हबों की स्थापना;
- किसी आपातकालीन स्थिति में एनएसजी कार्मिकों की आवाजाही हेतु वायुयान की मांग करने के संबंध में महानिदेशक, एनएसजी को शक्तियां प्रदान करना;
- कड़ा आप्रवासन नियंत्रण;
- सीमाओं पर चौबीसों घंटे चौकसी एवं गश्त के माध्यम से प्रभावी सीमा प्रबंधन;
- प्रेक्षण चौकियों, सीमा पर बाड़, तेज रोशनी, आधुनिक एवं उच्च तकनीकी वाले चौकसी उपकरणों की स्थापना;

- आसूचना ढांचे का स्तरोन्नयन;
- तटीय सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण;
- वर्ष 2008 और 2012 में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन ताकि आतंकवाद से निपटने के लिए दांडिक उपाय मजबूत किए जा सकें;
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों की जांच करने तथा अभियोजन चलाने के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना;
- राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) की स्थापना जिसका आशय आतंकवाद तथा आंतरिक सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए कार्रवाई योग्य आसूचना का संग्रह करने के लिए डाटाबेसों को जोड़ना है;
- विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय अपराधों को विधेय अपराध के रूप में शामिल करने के लिए वर्ष 2009 में धन-शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन;
- सभी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों में आतंकवाद के प्रति भारत की बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति के तहत सीमा-पार आतंकवाद के सभी आयामों को समाहित करते हुए इस मुद्दे को उठाना।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र और राज्य स्तरों पर आसूचना एजेंसियों के बीच गहन और प्रभावी समन्वय मौजूद है। बहु-एजेंसी केन्द्र (एमएसी) को सुदृढ़ और पुनर्गठित किया गया है ताकि वास्तविक समय (रीयल-टाइम) के आधार पर आसूचना के संग्रहण तथा अन्य आसूचना एजेंसियों और राज्यों के बीच आसूचना के आदान प्रदान के लिए यह चौबीसौ घंटे काम करने में सक्षम हो सके, जिससे राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित हो सकेगा। इसके परिणामस्वरुप अनेक आतंकी माड्यूलों को ध्वस्त किया गया है और बड़े आतंकी हमलों की योजनाओं को निष्प्रभावी किया गया है ।

***

अनुलग्नक-I के पृष्ठ 1 का 1
लोक सभा ता० प्र० सं० 112

दिनांक 03 मार्च, 2015 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 112 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2014 में देश के अन्दरूनी भाग में हुए आतंकवादी हमलों/बम विस्फोटों का ब्यौरा

क्रम सं.	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति	गिरफ्तार व्यक्ति
1.	01.05.2014 चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक खड़ी ट्रेन में आईईडी विस्फोट	01	14	-
2.	02.10.2014 बर्दमान में बम विस्फोट	02	01	07
3.	28.12.2014 बेंगलुरू में बम विस्फोट	01	03	-

वर्ष 2014 में जम्मू एवं कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों का ब्यौरा

वर्ष	घटनाएं	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए आतंकवादी
2014	222	47	28	110

दिनांक 03 मार्च, 2015 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 112 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2014 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा का ब्यौरा

राज्य	घटनाएं	सिविलियनों/सुरक्षा बल कार्मिकों सहित मारे गए लागों की संख्या	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए वामपंथी उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए वामपंथी उग्रवादी
आंध्र प्रदेश	18	4	0	3	66
असम	0	0	0	0	7
बिहार	163	32	6	1	383
छत्तीसगढ़	328	111	59	35	687
झारखंड	384	103	9	8	396
केरल	8	0	0	0	2
मध्य प्रदेश	3	0	0	0	11
महाराष्ट्र	70	28	12	10	18
ओडिशा	103	26	0	6	82
तेलंगाना	14	5	1	0	32
उत्तराखंड	0	0	0	0	5
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	1
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	6
कुल	1091	309	87	63	1696

अनुलग्नक-III के पृष्ठ 1 का 1
लोक सभा ता० प्र० सं० 112

दिनांक 03 मार्च, 2015 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 112 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

'आतंकवाद/वामपंथी उग्रवादी हिंसा के सिविलियन पीड़ितों के लिए सहायता संबंधी केन्द्रीय योजना' के अंतर्गत पिछले एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उन सिविलियन पीड़ितों/निकटतम संबंधियों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई।

राज्य का नाम	2013-2014 लाभार्थियों की संख्या		2014-15 (12.2.2015 तक) लाभार्थियों की संख्या	
	आतंकवाद	वामपंथी उग्रवाद	आतंकवाद	वामपंथी उग्रवाद
असम	1	-	52	
आंध्र प्रदेश	-	6	-	4
बिहार	-	1	-	12
छत्तीसगढ़	-	45	-	39
झारखंड	-	3	-	-
ओडिशा	-	-	-	24
पश्चिम बंगाल	-	-	-	132
कुल	1	54	52	211

*****